(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी
प्रकरण संख्या : 73/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 12.08.2025 निर्णय दिनांक : 23.09.2025

1. सूरजभान पुत्र उमराव जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। .....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0,
2. सरजीत पुत्र लालाराम जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।
3. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़। .....अप्रार्थीगण
4. सोमदत्त पुत्र उमराव जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना तहसील नीमराना जिला जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। .....तरतीबी अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री अंकित स्वामी अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर सें।

निर्णय दिनांक–23.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष वाद अनुवानी सरजीत बनाम सुरजभान वगै0 प्रकरण संख्या 448/2023 मय स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अंकित स्वामी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना जाहिर करने पर वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
3. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष एक वाद बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्मईतनाई दवामी बअनुवानी सरजीत बनाम सुरजभान वगैरा प्रकरण संख्या 448/2023 मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में मय अधिवक्ता उपस्थित आकर अपना जवाब दावा एवं जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बिना तनकीयात कायम किये व बिना उभय पक्षो की साक्ष्य लिये विधि विरुद्ध जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश पारित किये एवं अब अप्रार्थी संख्या 02 उपरोक्त प्राथमिक डिकी की आड़ में कीमती व रास्ते की जमीन को कुर्रेजात रिपोर्ट में स्वयं के नाम दर्शित करवा प्रकरण का निस्तारण करेने पर आमादा हो रहे है। अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा लगाये जा रहे अनैतिक दबाववश तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपरोक्त प्रकरण में विधि विरूद्ध जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की एवं अब उपरोक्त प्राथमिक डिक्री के आधार पर गलत रूप से तैयार की गयी कुर्रेजात रिपोर्ट से प्रकरण का निस्तारण करने पर उतारू हो रहे है। वर्तमान पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय की कतई उम्मीद नही है तथा अप्रार्थीगण के

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

दबाव में बिना प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य सफाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये पत्रावली का निस्तारण करने पर उतारू हो रहे है। अंत में अन्त में वकील प्रार्थी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विचाराधीन वाद बअनुवानी सरजीत बनाम सुरजभान वगै0 प्रकरण संख्या 448/2023 मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अन्यत्र राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

4. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण के निस्तारण को लम्बित करने के उद्देश्य से मनगढंत एवं मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत् सुनवाई करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई है। अतः प्रार्थी का उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।
5. उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने अपने पत्रांक कोर्ट/2025/1008 दिनांक 22.08.2025 के द्वारा जाहिर किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनमाने व झूठे है। यदि प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।
6. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने पर कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई है, जो वकील उभयपक्षकारान से दौराने बहस स्वीकार किया है। प्रार्थी वकील का कथन है कि कुर्रेजात रिपोर्ट गलत तैयार की गई है तथा गलत कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर पीठासीन अधिकारी प्रकरण में छोटी–छोटी तारिख पेशी नियत कर प्रकरण को निस्तारण करना चाहते है।

वकील प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत/साक्ष्य पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रस्तुत कुर्रेजात रिर्पोट पर प्रार्थी को कोई आपत्ति है तो तहत न्यायालय में आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए, इस प्रकार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र लगा कर प्रकरण में देरी करना न्यायोचित्त नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है ना ही प्रार्थी की बहस प्रकरण में चस्पा होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़